

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज०, जयपुर

क्रमांक: प. 134(6)/नि.आ.वि/वक्फ सम्पत्ति/जन.सह./2022-23/ १५६४३

दिनांक: ०५/११/२०२२

जन सहभागिता के तहत राज्य की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं विकास योजना
दिशा-निर्देशः—

क्र. स	योजना का नाम / विवरण	विवरण
1	परिचय	वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्य योजना जन सहभागिता के आधार पर अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के द्वारा संचालित की जायेगी।
2	योजना का आधार	<ol style="list-style-type: none"> माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-2023 में जन सहभागिता योजना के तहत राज्य की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं विकास हेतु कार्य करना। 90 प्रतिशत राज्यांश तथा जन सहभागिता हिस्सा राशि 10 प्रतिशत।
3	उद्देश्य	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान में स्थित वक्फ भूमि/वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण हेतु कार्य करना ताकि वक्फ संपत्तियों का विकास हो एवं इन्हे अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके।
4	कार्यकारी विभाग	<ol style="list-style-type: none"> अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज सरकार।
5	कार्य क्षेत्र व कार्य	<ol style="list-style-type: none"> सम्पूर्ण राजस्थान में स्थित वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एवं विकास करना। पूर्व में स्थित/निर्मित वक्फ सम्पत्तियों का अनुरक्षण व मरम्मत कार्य किया जा सकेगा। सामुदायिक भवन निर्माण, मुसाफिर खाना निर्माण, मजलिस खाना निर्माण, वक्फ सम्पत्तियों तक पहुंच हेतु इन्टर लॉकिंग/सीसी रोड निर्माण, वजुखाना निर्माण, कब्रिस्तान में शेड निर्माण, वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु अन्य संबंधित कार्य।

लाल

6	योजनान्तर्गत गैर-अनुमत कार्यों की सूची:-	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुदान एवं ऋण 2. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि का मुआवजा। 3. व्यक्तिगत लाभ एवं वाणिज्यिक संगठन की परि-सम्पत्ति। 4. धार्मिक स्थल।
7	फण्डिंग पेटर्न/बजट	<ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य वित्त पोषित (90 प्रतिशत राज्य सरकार: 10 प्रतिशत जन सहभागिता)
8	कार्यकारी एजेन्सी	<ol style="list-style-type: none"> 1. योजनान्तर्गत विभागीय कार्यकर्ताओं की वरीयता के अनुरूप एवं नियमानुसार चयन विभाग के द्वारा किया जायेगा। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, राज्य कृषि विषय बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, स्थानीय नगरीय निकाय पंचायती राज्य संस्थाएँ एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 आईटम नं 51 के अनुसार या केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार का कोई विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगे हुए हैं।" कार्यकारी एजेन्सी हो सकेंगी।
9	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान में स्थित समरत वक्फ संपत्तियां जो कि राजस्व रिकॉर्ड/ राजस्थान वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज हो।
10	कार्य की स्वीकृति एवं आवेदन प्रक्रिया	<p>वक्फ भूमि/वक्फ सम्पत्तियों के विकास एवं संरक्षण हेतु योजनान्तर्गत सम्बंधित वक्फ कमेटी/इन्तज़ामियां कमेटी/मुतवल्ली जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से अपना प्रस्ताव निम्नांकित दस्तावेजात के साथ 2-2 प्रतियों में निदेशालय अल्पसंख्यके मामलात विभाग, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वक्फ रिकार्ड यथा वक्फ गजट/वक्फ रजिस्टर दफा 37 /वर्तमान राजस्व अभिलेख की प्रति। 2. अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां, वक्फ रिकार्ड में पंजीकृत होने के उपरांत ही योजना के लाभ की पात्र होगी। 3. प्रस्तावित कार्य का अनुमानित लागत तकमीना मय नक्शा पूर्ण विवरण संलग्न करे। 4. प्रस्ताव अन्तर्गत प्रस्तावित वक्फ सम्पत्ति से सम्बंधित किसी न्यायालय में कोई वाद-विवाद नहीं है तथा यह सम्पत्ति वक्फ कमेटी/इन्तज़ामियां कमेटी/मुतवल्ली के

[Signature]

		<p>अधिकार में है, के आशय का शपथ पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये।</p> <p>5. तत्पश्चात् जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रस्तावित कार्य वक्फ सम्पत्ति पर करवाये जाने की टिप्पणी अंकित करें।</p> <p>6. उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव मय वांछित दस्तावेज़ात के परीक्षण पश्चात् जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को प्रेषित किया जायेगा।</p> <p>7. योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को निदेशालय स्तर पर समेकित कर जारी दिशा-निर्देशों अनुरूप वरीयता निर्धारण कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।</p> <p>8. योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन विभागीय प्रभारी मंत्री एवं विभागीय प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा किया जायेगा।</p> <p>9. उक्त अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।</p> <p>10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया जायेगा।</p> <p>11. राजकीय एजेन्सी द्वारा किया जाने वाला कार्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की निगरानी में किया जायेगा।</p> <p>12. निर्माण कार्य का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा।</p> <p>13. उपरोक्त योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृति जारी होने पर आवेदक द्वारा 10 प्रतिशत जनसहभागिता राशि सम्बंधित राजकीय कार्यकारी एजेन्सी में जमा करवानी होगी।</p> <p>14. प्रथम किश्त का भुगतान कार्य प्रारंभ होने पर तथा द्वितीय किश्त का भुगतान प्रथम किश्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। आवेदको द्वारा जमा कराई गई 10 प्रतिशत राशि का समायोजन कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर किया जायेगा।</p>
11	निर्माण संबंधी दिशा - निर्देश	<ol style="list-style-type: none"> निर्माण कार्यों की संख्या का निर्धारण विभागीय प्रतिबद्धता एवं वरीयता के अनुरूप किया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण-भवन निर्माण के दौरान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नियमित तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच की जावेगी।

पृष्ठा

		<p>3. जाँच रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय एवं निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात को प्रस्तुत करनी होगी।</p> <p>4. जाँच रिपोर्ट में, विपरीत/नकारात्मक टिप्पणी प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान रोका जा सकेगा।</p> <p>5. विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य के दौरान या निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तृतीय पक्षकार (Third party) से भी निरीक्षण करवाया जा सकता है।</p> <p>6. कार्य पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण के उपरान्त नियमानुसार कार्यकारी एजेंसी से भवन का कब्जा प्राप्त किया जायेगा।</p> <p>7. निर्माण कार्य के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना की जायेगी।</p> <p>8. विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निर्माण संबंधित निर्देश जारी किये जाने पर कार्यकारी एजेंसी द्वारा अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।</p>
--	--	--

उम्र
31. x. 2022

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक: प. 134(6)/नि.अ.मा.वि/वक्फ सम्पत्ति/जन.सह./2022-23/। ५६४५-९३ दिनांक: ०५/११/२०२२
निम्न को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
7. उप निदेशक-प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
8. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, कार्यालय हाजा।
9. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.....।
10. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

उम्र
31. x. 2022

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

जन सहभागिता के तहत राज्य की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं विकास
आवेदन प्रपत्र

- 1- आवेदक का नाम यथा पता -

2- सम्पत्ति की व्यवस्था में आवेदक का पद-----
3- मोबाइल नम्बर -----
4- वक्फ सम्पत्ति का नाम व पता -----
5- वक्फ गजट / दफा-37 / राजस्व अभिलेख की प्रति (संलग्न करें) ---
6- शपथ पत्र आवेदक-* (संलग्न करें)
7- प्रस्तावित निर्माण का तख्मीना- **(संलग्न करें)
8- प्रस्तावित निर्माण का विवरण -----

हस्ताक्षर आवेदक

*आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये कि-

- (1) प्रस्तावित कार्य वक्फ भूमि / सार्वजनिक भूमि पर किया जाना है।
(2) सम्बंधित वक्फ भूमि वक्फ कमेटी / इन्तजामियां / मुतवल्ली के अधिकार में है।
(3) प्रस्तावित कार्य वक्फ भूमि / सार्वजनिक भूमि पर किसी न्यायालय में कोई वाद-विवाद नहीं है।

✓